न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2460–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् होशंगाबाद म0 प्र0 प्र0क0 05/बी–103/13–14

1 शाखा प्रबंधक
कार्पोरेशन बैंक
शाखा पिपरिया तहसील पिपरिया
जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश
2 श्री रामेश्वर सिंह आत्मज श्री प्रताप सिंह
निवासी ग्राम पनारी तहसील पिपरिया जिला
होशंगाबाद मध्य प्रदेश .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
स्टाम्प ऑफ कलेक्टर जिला होशंगाबाद म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री सुनिल पाण्डे, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 मार्च, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ पंजीयक होशंगाबाद के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र कमांक 10/उप0/पं0/2014 दिनांक 10–2–2014 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक कमांक 2 को दो ग्रामों की भूमियों पर 19,40,000/–रूपये ऋण स्वीकृत किया गया है, अतः उक्त राशि पर शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत अधिनियम के अंतर्गत 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क कुल 2 प्रतिशत अर्थात 38,800/–रूपये मुद्रांक शुल्क चुकाया जाना चाहिये था, जो नहीं चुकाया गया है । अतः कमी मुद्रांक शुल्क 38,800/– बाबत आवश्यक कार्यवाही की जाये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 05/बी–103/2013–14 दर्ज किया जाकर दिनांक 24–6–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन दस्तावेज पर 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क के मान से कुल रूपये 38,800/–शुल्क देय होना मान्य किया गया । साथ ही अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत 200/–रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । इस प्रकार कमी मुद्रांक शुल्क 38,800/–रूपये एवं 200/–रूपये अर्थदण्ड कुल 40,000/– रूपये जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 बैंक द्वारा आवेदक कमांक 2 को प्रश्नाधीन दो ग्रामों की भूमियों को बंधक रखकर कुल 9,70,000/–रूपये ऋण स्वीकृत किया गया है । चूँकि प्रथम घोषणा पत्र में त्रुटिवश केवल एक ही ग्राम की भूमि बंधक रखी गई थी, इसलिये दूसरा घोषणा पत्र निष्पादित कराया गया है । दो घोषणा पत्रों के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा रूपये 19,40,000/–रूपये ऋण आवेदक कमांक 2 को दिया जाना मान्य करने में गंभीर अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि बैंक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष ऋण स्वीकृत आदेश प्रस्तुत किया गया था, जिससे भी आवेदक कमांक 2 को मात्र केवल 9,70,000/–ऋण दिया जाना स्पष्ट होता है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस पर विचार नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उप पंजीयक द्वारा दो पृथक–पृथक बंधक पत्र दो ग्रामों की भूमियों के संबंध में निष्पादित होने एवं दोनों बंधक पत्रों में पृथक पृथक 9,70,000/–ऋण आवेदक कमांक 1 बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख होने के आधार पर आवेदक कमांक 2 के पक्ष में 19,40,000/– रूपये ऋण स्वीकृत होना मानते हुये प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का जबाब प्रस्तुत किया गया है कि दोनों बंधक पत्र पर आवेदक कमांक 2 को कुल 9,70,000/–रूपये ऋण ही दिया गया है । समर्थन में आवेदक कमांक 1 द्वारा 9,70,000/–रूपये ऋण स्वीकृत करने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण के उक्त जबाब पर विचार नहीं कर दो पृथक पृथक बंधक पत्र निष्पादित होने से 19,40,000/–ऋण आवेदक कमांक 2 द्वारा लिया जाना प्रतीत होना पाते हुये 10,00,000/–रूपये से अधिक ऋण स्वीकृत होने से अधिसूचना कमांक (44)बी–4–29–06–2–5 दिनांक 25–9–2006 के अंतर्गत छूट की श्रेणी में ऋण को नहीं पाते हुये कमी मुद्रांक शुल्क 38,800/–रूपये एवं 200/–रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो कि विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 19,40,000/–का ऋण स्वीकृत होने की संभावना के आधार पर आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का कर्तव्य था कि वह गहन परीक्षण कर इस बात की पुष्टि करते कि वास्तव में बैंक द्वारा आवेदक कमांक 2 को 9,70,000/– का ऋण स्वीकृत किया गया है अथवा 19,40,000/–रूपये ऋण स्वीकृत किया गया है, क्योंकि बैंक द्वारा स्पष्ट आधार लिया गया है कि उसके द्वारा 9,70,000/–रूपये का ही ऋण आवेदक कमांक 2 को स्वीकृत किया गया है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।